137

संख्या : /IV(1)/2014–194(कुम्भ)/2009

प्रेषक,

डी0एस0गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 9 मई ~~अप्रैल,~~ 2014

विषयः कुम्भ मेला, 2010 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट विस्तारीकरण (पंचम चरण) की योजना हेतु तृतीय किश्त की धनराशि के व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1752/IV(1)/2010–194(कुम्भ)/2009 दिनांक 01 जनवरी, 2010 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून द्वारा उक्त कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन ₹ 840.79 लाख के तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत ₹ 826.82 लाख (₹ आठ करोड छब्बीस लाख बयासी हजार) मात्र की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति देते हुए प्रथम किश्त के रूप में ₹ 200.00 लाख (₹ दो करोड़ मात्र), तथा शासनादेश संख्या–485/IV(1)/2010–194(कुम्भ)/2009 दिनांक 05 जुलाई, 2011 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में ₹ 245.32 लाख (₹ दो करोड पैंतालिस लाख बत्तीस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तत्क्रम में आपके पत्र संख्या–5257/कु.मे.–2010/लेखा दिनांक 22 सितम्बर, 2011 एवं पत्र संख्या–21 दिनांक 23 मार्च, 2013 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उक्त कार्य हेतु अवशेष धनराशि ₹ 381.50 लाख में से 15 प्रतिशत धनराशि अर्थात ₹ 57.23 लाख को रोकते हुये शेष धनराशि ₹ 324.27 लाख (₹ तीन करोड़ सत्ताईस लाख तेईस हजार मात्र) को ह0वि0प्रा0 के पी0एल0ए0 में रखी गयी धनराशि से व्यय किए जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

i. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के कार्यालय ज्ञाप संख्या–132/मु0अ0विभ/सिं0वि0/जॉ0अनु0/सी–20 (गंगा) दिनांक 28 मार्च, 2014 के अन्तर्गत गुणवत्ता जॉच में पायी गयी कमियों के सम्बन्ध में योजना के कार्यों के अन्तर्गत थर्ड पार्टी श्री राम इन्स्टीट्यूट द्वारा सैम्पल टैस्टिंग की जॉचोपरान्त पायी गयी कमियों पर अनुबन्धवार सम्बन्धित ठेकेदारों से नियमानुसार की गई कटौती को राजकीय कोषागार में जमा कराते हुये उसकी प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

ii. यदि पूर्व अवमुक्त धनराशि बैंक में रखकर उस पर ब्याज अर्जित हुआ है तो उस समस्त अर्जित ब्याज को राजकोष में ट्रेजरी चालान से जमा करके उसकी फोटोप्रति शासन को अविलम्ब उपलब्ध करवाने का दायित्व मेलाधिकारी का ही होगा।

iii. अन्तिम किश्त का न्यूनतम निविदा (एल–1) का विवरण देकर उसी के अनुसार ही स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जाएगा।

iv. स्वीकृत की जा रही धनराशि का तत्काल उपयोग करके वित्तीय प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत किया जाएगा।

v. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबंधित अधिशासी अभियंता/मेलाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

vi. शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध उक्त शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2010 के अनुसार यथावत लागू रहेंगे।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय शासनादेश संख्या–436/IV(1)/2010– 39(साम0) 2006–टी0सी0 दिनांक 25 मार्च, 2010 के द्वारा मेलाधिकारी, हरिद्वार के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि ₹ 108.5590 करोड़ के सापेक्ष किया जायेगा एवं पुस्तांकन तदुस्थान में वर्णित लेखाषीर्शक में किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा.सं– 28/XXVII(2)/2011 दिनांक 04 अप्रैल, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0एस0गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या : 459 (1)/IV(1)/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
9. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करें।
11. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
उपसचिव।